Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 1 | May 2023 - October 2023 | pp. 120-124

सुशासन की भारतीय अवधारणा एवं उसका क्रियान्वयन

डॉ. ईश्वर चन्द्र शर्मा

सहआचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय, रोहट, पाली (राजस्थान)

शोध सारांश

जब हम सुशासन के अर्थ को टटोलने की कोशिश करते है, तो कमोबेश ऐसे कई अर्थ हमारे दिमाग में आते है और अलग-अलग विचारधारा के लोग अच्छे शासन के आधार या मापदण्ड अपने-अपने हिसाब से निर्धारित करते है और उसी आधार पर शासन का मूल्यांकन भी किया जाता है। वर्तमान में विश्व में सुशासन की पाश्चात्य अवधारणा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ऐसे में यह पता लगाना कि जो अवधारणा विश्व के लिए नई है वह भारतीय राजनीतिक दर्शन में बहुत पहले से विद्यमान रही है, यह इस शोध का उद्देश्य है। इसके लिए ऐतिहासिक एवं पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है। जब हम भारत के सन्दर्भ में सुशासन की बात करते है तो आदिकाल से ही राज्य और राजा का दायित्व सुशासन की स्थापना करना रहा है। "प्राचीन भारतीय ग्रन्थ महाभारत, एतेरेय ब्राह्मण, रामायण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, कामंदक का नीतिसार, शुक्राचार्य के नीतिसार तथा सोमदेव सूरी के नीति वाक्य अमृत में सुशासन की संकल्पना का उल्लेख प्राप्त होता है।" आजादी के बाद देश में और राज्यों में जो भी सरकारें आई उन्होने सुशासन को स्थापित करने के प्रयास किए। आज भी सुशासन के मार्ग में बहुत सी बाधाएँ नजर आती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय चिन्तन में शुरू से ही सुशासन राज्य का आदर्श रहा है जिसकी प्राप्ति हेतु आजादी के बाद से सभी सरकारें प्रयत्नशील रही है। उन्हें आंशिक रूप से सफलता भी मिली है। प्रस्तुत शोध पत्र में सुशासन की भारतीय अवधारणा एवं उसका क्रियान्वयन को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है

संकेताक्षर—*पारदर्शिता, प्रमाणिकता, प्रभावकारिता, समावेशी, दक्षता*

प्रस्तावना

सुशासन अर्थात् अच्छा शासन। हम अच्छा शासन किसे कहें? जहाँ आर्थिक उन्नति अधिक हो, उसे? जहाँ औद्योगिक प्रगति अधिक हो, उसे? जो गरीबी या भूखमरी को काबू में कर सके उसे? जो जनता के प्रति अधिक जवाबदेह हो, उसे? जो पारदर्शी प्रामाणिकता पर आधारित हो, उसे? जो देश को अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर दैदीप्यमान कर सके, उसे? या जो आम जनता की दिन प्रति दिन की समस्याओं का शीघ्र व सुगमता से समाधान कर सके, उसे? जब हम सुशासन के अर्थ को टटोलने की कोशिश करते है, तो कमोबेश ऐसे कई अर्थ हमारे दिमाग में आते है और अलग-अलग विचारधारा के लोग अच्छे शासन के आधार या मापदण्ड अपने-अपने हिसाब से निर्धारित करते है और उसी आधार पर शासन का मूल्यांकन भी किया जाता है। जहाँ पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक औद्योगिकीकरण और आर्थिक उन्नति को सुशासन का आधार मानते है, वहीं समाजवादियों के लिये सुशासन का आधार आर्थिक विषमता का अन्त, गरीबी या भुखमरी से निजात को माना जाता है।

"आधुनिक समय में वर्ष 1990 ई. के पश्चात शासन को समावेशी स्वरूप प्रदान करते हुए सुशासन की अवधारणा विकसित हुई। सुशासन का सामान्य अर्थ होता है, अच्छे तरीके

से शासन अर्थात् बेहतर तरीके से शासन। ऐसा शासन जिसमें गुणवत्ता हो और वह खुद में एक अच्छी मूल्य व्यवस्था को धारण करता है। सुशासन, शासन से आगे की चीज है। इससे शासन के तरीके में और अधिक दक्षता का विकास होता है, जिससे उसकी वैज्ञानिकता और साख में बढ़ोतरी होती है। इसके आधारभूत तत्वों में—राजनीतिक उत्तरदायित्व, स्वतन्त्रता की उपलब्धता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावकारिता आदि को रखा जाता है। 1989 में विश्व बैंक ने सुशासन की संकल्पना को प्रतिपादित किया तथा 1992 में विश्व बैंक रिपोर्ट में सुशासन की अवधारणा को विस्तृत रूप से विश्लेषित किया गया। इसके पश्चात सुशासन की संकल्पना पर सभी देशों में विचार विमर्श किया जाने लगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सुशासन को ऋण मंजूर करने के लिए एक मापदण्ड के रूप में स्वीकार कर लिया गया।

सुशासन की अवधारणा इस पहलू पर आधारित हैं कि सरकार के नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन क्षमता को प्रबन्धकीय स्वरूप में अधिक उत्तरदायी एवं अधिक पारदर्शी स्वरूप में संचालित होना चाहिए तथा विकेन्द्रीकरण एवं शासन में जनभागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए एवं सरकार द्वारा शासन को एक जनोन्मुखी एवं परिणामोन्मुखी सरकार के रूप में संचालित किया जाना चाहिए।

1992 के विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार सुशासन की संकल्पना में निम्नांकित तत्व निहित है—

- राजनीतिक जवाबदेही
- राजनीतिक शक्ति को न्याय संगत बनाने के लिए नियमित चुनाव
- शासन का विकेन्द्रीकरण तथा समाजिक संस्कृतिक एवं आर्थिक वर्गों की शासन में भागीदारी।
- विधिक शासन
- न्यायपालिका की स्वतन्त्रता
- नौकरशाहों का उत्तरदायित्व
- सूचना की स्वतन्त्रता
- पारदर्शिता
- पर्याप्त एवं प्रभावशाली प्रशासनिक प्रणाली
- सरकार तथा नागरिकों के मध्य सहकारिता"[1]

जब हम भारत के सन्दर्भ में सुशासन की बात करते है तो आदिकाल से ही राज्य और राजा का दायित्व सुशासन की स्थापना करना रहा है। "प्राचीन भारतीय ग्रन्थ महाभारत, एतेरेय ब्राह्मण, रामायण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, कामंदक का नीतिसार, शुक्राचार्य के नीतिसार तथा सोमदेव सूरी के नीति वाक्य अमृत में सुशासन की संकल्पना का उल्लेख प्राप्त होता है।"

'मनुस्मृति' के अनुसार राज्य के दायित्व हैं—"प्रजारक्षण, प्रजारंजन अर्थात् लोककल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह।"[2] मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार डॉ. केवल मोटवानी और पाश्चात्य विद्वान बी.ए. सालेटोर मानते है कि मनु ने राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायी बताया है, जो कि सुशासन का एक सूचक है। डॉ. केवल मोटवानी के शब्दों में "राजा को समझना चाहिए कि वह धर्म के नियमों के आधीन है, कोई भी राजा धर्म के विरुद्ध व्यवहार नहीं कर सकता, धर्म राजाओं और सामान्य मनुष्यों पर एक समान ही शासन करता है इसके अतिरिक्त राजा, राजनीतिक प्रभु जनता के भी अधीन है, वह अपनी शक्तियों के प्रयोग में जनता की आज्ञापालन की क्षमता से सीमित है।"[3] "मनु ने निस्सन्देह यह कहा हैं कि जनता राजा को गद्दी से उतार सकती है और उसे मार भी सकती है, यदि वह अपनी मूर्खता से प्रजा को सताता है।"[4] मनु ने स्पष्ट शब्दों में लिखा हैं कि "राजसत्ता, जनसत्ता की शक्ति को स्वीकार करे, यह बात राजा के पद और राज्य, दोनों के लिए शुभ हैं।"

वेदव्यास जी ने भी सुशासन की स्थापना हेतु गुणयुक्त व्यक्ति को शासन का अधिकार प्रदान करने की बात कही है। महाभारत के शान्तिपर्व में उन्होंने लिखा है। "गुणसम्पन्न व्यक्ति ही शासन करने का अधिकारी है। गुण विहीन राजा स्वयं तो विपत्ति में पड़ता ही है, प्रजा को भी विपत्ति के गर्त में डाल देता है। गुणयुक्त राजा प्रजा का विश्वास प्राप्त करता है। वह न पथ भ्रष्ट होता है, और न ही श्री भ्रष्ट।"[5]

व्यास जी के अनुसार "सतपुरुषों का पालन, वृद्ध एवं विद्वानों का सम्मान, बन्धु-बान्धवों का आदर, भृत्य और अतिथि के प्रति उदारता, दीन दुःखियों के प्रति दया एवं शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म है।"[6] जो राजा शरणागत की रक्षा नहीं करता वह पाप का भागी होता है।"[7] सुशासन के लिए शासन का संयमी होना भी आवश्यक माना गया है।" भीष्म के अनुसार राजा को सर्वप्रथम अपने मन और इन्द्रियों पर विजय

प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात शत्रुओं पर। जितेन्द्रिय राजा ही अपने शत्रुओं का दमन कर सकता है, और उसी का राज्य भी स्थिर रहता है।"[8]

हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए जारी दो पुस्तिकाओं का फोकस इस बात पर था कि लोकतान्त्रिक लोकाचार सहस्त्राब्दियों से भारत के लोगों का हिस्सा रहा है। ''महाभारत में सुशासन के सिद्धान्त के सन्दर्भ में पुस्तिकाओं में लिखा गया है कि महाभारत में मरते हुए पितामह भीष्म में युधिष्ठिर को सुशासन के सिद्धान्त बताए। पुस्तिका के अनुसार भीष्म ने कहा, "एक राजा के धर्म का सार अपनी प्रजा की समृद्धि और खुशी को सुरक्षित करना है।"[9] कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सुशासन की स्थापना के उद्देश्य से राजा के कर्त्तव्यों का वर्णन करने हुए लिखा हैं कि "प्रजा के सुख में राजा का सुख हैं, प्रजा के हित में राजा का हित हैं। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है। प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का सम्बन्ध होना चाहिए।"[10] "कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य भी सौंपे हैं। इनके अन्तर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों का भरण-पोषण करेगा। जो किसान खेती न करके जमीन परती छोड़ देते हों, उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसानों को देगा। उसके अन्य-कर्त्तव्य-कृषि के लिए बाँध बनाना, जलमार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना, दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना और उन्हें बीज देना है। आवश्यक होने पर उसे धनवानों पर अधिक कर लगाकर धन को गरीबों में बांट देना चाहिए।"[11]

शुक्र ने भी जनता से जुड़े और जनहित के कार्यों को तत्परता से करने में लगे रहने वाले शासन को ही अच्छा शासन माना है। शुक्र के अनुसार जिस राजा में प्रजा का अनुराग होता हैं और जो राजा प्रजा के पालन में तत्पर रहता हैं तथा विनीत है, वह राजा अत्यन्त श्री को भोगता है। अतः शुक्र का राजा को परामर्श और निर्देश हैं कि ''घने विषय रूपी वन में मद से दौड़ते हुए इन्द्रिय रूपी हाथी को राजा ज्ञान-रूपी अंकुश से वश में करे।"[12]

रामायणकाल में भी सुशासन भारतीय राजव्यवस्था का आधार रहा है।

"रामराज्य की विधि या धर्म सम्मत मर्यादा की अवधारणा केवल राजा या शासक के कर्त्तव्यों का विचार नहीं हैं अपितु एक ऐसी समग्र राज्यव्यवस्था की निर्मिति है जिसमें सामाजिक जीवन का प्रत्येक कोना धर्म के चार चरणों—सत्य, सोच, दया और दान पर अवलंबित होता है। यह एक ऐसी चतुष्पाद व्यवस्था है जो राज्य और समाज के सभी आधारभूत घटकों को सच्ची श्रद्धा से ओत-प्रोत करते हुए सबकी स्वतन्त्रता सुनिश्चित करती है। यह एक ऐसा ईश्वरीय राज्य है जो अकाल मृत्यु या अन्य सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त होगा। सभी सर्वत्र भद्र कल्याण देखेंगे। कोई दीन, दुखी, दरिद्र नहीं होगा। सभी शिक्षित, बोध सम्पन्न होंगे और सभी प्रकार की शुभता से युक्त होंगे। श्रीराम के राज्य में कोई अप्रसन्न नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति को उसके श्रम और कर्म का उचित फल प्राप्त होता था। धर्म की तुला पर राजा और रंक, शीर्ष और निम्नतल के आधार पर विशेषाधिकारों को भेद नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास ने राम राज्य में ऐसे जीवन की कल्पना की हैं, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति नर-नारी अहंकार और दंभ से मुक्त है। सभी परिजनों को आदर देने वाले है। सभी में कृतज्ञता का भाव है। छल और कपट से मुक्त जीवन जीने वालों का समाज है।

वस्तुतः राम राज्य की अवधारणा ऐसे सुशासन की कल्पना है, जिसमें सबको योग्य बनने और योग्यता के अनुसार सब प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें सर्वत्र पारदर्शिता है। किन्तु समाज के अन्तिम व्यक्ति के अभ्युत्थान की चिन्ता प्रमुख है।"[13] स्व-शासन, सुशासन का प्रमुख आधार है। "भारत की ग्रामीण व्यवस्थाओं, स्व-शासन और निर्वाचित स्वायत्त संस्थाओं द्वारा निर्देशित ग्राम स्वराज्य का 25 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद प्रभारी ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे, चार्ल्स टी. मेटकाफ ने अपने अध्ययनों के आधार पर 1932 में भारतीय ग्रामों को लघु-गणराज्य की संज्ञा दी थी। उनके मतानुसार स्व-शासन के कारण ही भारतीय गांव सदैव बाहरी दबावों से मुक्त रहे है और अनेक विदेशी आक्रमणों के बाद भी सहस्त्रब्दियों से भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रही। प्रजा द्वारा निर्वाचित ग्रामीण या ग्राम प्रमुख व विशपति द्वारा ग्राम सभाओं के माध्यम से जनभावनाओं के अनुरूप स्थानीय शासन को चलाया जाता था। ग्रामणी, ग्रामाधिप, ग्राम सभा, विश, विशपति व पंचायतों आदि के सन्दर्भ वेदों में है। बीस गाँवों की भौगोलिक इकाई विश कहलाती थी और बीस, सौ व एक हजार ग्रामों के अधिपति

को क्रमशः विशपति शत ग्रामाधिप व सहस्त्र ग्रामाधिप कहा जाता था।"[14]

सुशासन केवल राज्य के भीतर आन्तरिक शासन तक सीमित नहीं है। अपितु इसका फैलाव वैश्विक स्तर तक है। किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण जिन तत्वों से होता है, वे भी सुशासन के कारक कहलाते है। यदि यह तत्व शांति, सहयोग, मैत्री, सद्भाव, सहअस्तित्व आदि को बढ़ाने वाले होते है, तो सुशासन के प्रतीक माने जाते है। प्राचीन भारतीय अवधारणा में ऐसे बहुत से तत्व विद्यमान है, जो इन तत्वों शांति, सहयोग, मैत्री, सद्भाव, सहअस्तित्व आदि को बढ़ाने वाले है। "सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामया" की भारतीय अवधारणा भी सुशासन की पक्षपोषक है। इस धारणा के आधार पर सभी प्राणियों के सुख एवं कल्याण की कामना करते हुए राजव्यवस्था का संचालन किया जाता है। जिससे सभी प्राणी सुख का अनुभव करते है। "वसुधैव कुटुम्बकम" का भारतीय विचार सम्पूर्ण विश्व को परिवार मानता है। जो कि विश्व शान्ति में मददगार साबित होता है। विश्व शान्ति और सदभाव की कामना लिए जिस विदेश नीति का भारतीय सन्दर्भ में संचालन किया जाता रहा है और किया जा रहा है वह भी सुशासन का ही परिचायक है। क्योंकि सुशासन की शर्त होती है, शान्ति, विकास एवं युद्दों से मुक्ति और यह शर्त भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित विदेश नीति में पुर्ण होती दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय चिंतन में जीओ और जीने दो के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। इसी के आधार पर भारतीय विदेश नीति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अपनाया गया है। यह नीति भी सुशासन को प्रकट करती है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति भी सुशासन को अभिव्यक्त करती है। क्योकि यह नीति दुनिया में हिंसा को बढ़ावा देने वाले सैन्य गुटों से पृथक रहने वाली नीति है। जो कि मानवता के विकास में योगदान देने वाली है। विश्व में निरकुंशता को चुनौती देने वाली है। निरकुंशता समाप्ति और मानवता का विकास सुशासन के ही लक्षण है।

आजादी के बाद देश में और राज्यों में जो भी सरकारें आई उन्होने सुशासन को स्थापित करने के प्रयास किए और संविधान में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करते हुए लोक कल्याण की स्थापना में अपना योगदान दिया। इस दिशा में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण, बीससूत्री कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन को मजबुती प्रदान करना, सूचना का अधिकार प्रदान करना, शिक्षा का अधिकार, रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) स्वच्छ भारत अभियान, मुख्यंमत्री सम्पर्क पोर्टल, राजस्थान में मुख्यमंत्री हेल्पलाईन नं. 181 की शुरूआत, उज्ज्वला योजना, शिक्षा का अधिकार (तजम), मीड डे मील योजना, लोक गारन्टी अधिनियम आदि उल्लेखनीय प्रमुख कहे जा सकते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सबका साथ सबका विकास और न खाऊँगा न खाने दूँगा के संकल्प के साथ सुशासन के लिए किये जाने वाले प्रयास भविष्य के लिए आशा जगाते है इसी कडी में प्रधानमंत्री द्वारा देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जिला कलक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से किया गया सीधा संवाद सराहनीय कदम माना जा सकता है।

इतना सबकुछ होते हुए भी हम यह नहीं कह सकते कि भारत में पूर्ण रूप से सुशासन स्थापित हो गया है। आज भी सुशासन के मार्ग में बहुत सी बाधाएँ नजर आती है। रिश्वत खोरी, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजा वाद, जातिवादी सोच का शासन पर हावी होना, लाल फीताशाही, आर्थिक विषमता, सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदारों तक नहीं पहुँचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कमियाँ, "ऑक्सीजन की कमी के कारण गोरखपुर में हुई नवजात शिशुओं की मौत"[15] जैसी घटनाएँ सुशासन के मार्ग की प्रमुख बाधाएँ कही जा सकती है।

निष्कर्ष

सुशासन की भारतीय अवधारणा से सम्बन्धित इस शोध पत्र के निष्कर्षों को निम्नांकित बिन्दुओं में समझा जा सकता है—

- आदिकाल से ही भारत में राज्य और राजा का दायित्व सुशासन की स्थापना करना रहा है।
- प्राचीन भारतीय ग्रन्थ महाभारत, एतेरेय ब्राह्मण, रामायण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, कामंदक का नीतिसार, शुक्राचार्य के नीतिसार तथा सोमदेव सूरी के नीति वाक्य अमृत में सुशासन की संकल्पना का उल्लेख प्राप्त होता है।
- प्राचीन भारतीय चिंतन के अनुसार राज्य के दायित्व हैं— प्रजारक्षण, प्रजारंजन अर्थात् लोककल्याण और सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह।

- प्राचीन भारतीय चिंतन में राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायी बताया है, जो कि सुशासन का एक सूचक है।
- प्राचीन भारतीय अवधारणा के अनुसार सतपुरुषों का पालन, वृद्ध एवं विद्वानों का सम्मान, बन्धु-बान्धवों का आदर, भृत्य और अतिथि के प्रति उदारता, दीन दुःखियों के प्रति दया एवं शरणागत की रक्षा करना राजा का धर्म है। जो राजा शरणागत की रक्षा नहीं करता वह पाप का भागी होता है।
- भारतीय चिंतन में सुशासन के लिए शासन का संयमी होना भी आवश्यक माना गया है। भीष्म के अनुसार राजा को सर्वप्रथम अपने मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, तत्पश्चात शत्रुओं पर।
- भारतीय अवधारणा में सुशासन केवल राज्य की आन्तरिक शासन व्यवस्था का हिस्सा नहीं है अपितु इसका विस्तार विदेश नीति तक भी है।
- स्वतंत्रता के पश्चात संविधान में भी सुशासन की स्थापना हेतु बहुत से तत्वों को शामिल किया गया है, किन्तु इनकी पूर्ण क्रियान्विति अभी बाकी है।

समग्रतः कहा जा सकता है कि भारतीय चिन्तन में शुरू से ही सुशासन राज्य का आदर्श रहा है जिसकी प्राप्ति हेतु आजादी के बाद से सभी सरकारें प्रयत्नशील रही है। उन्हें आंशिक रूप से सफलता भी मिली है। आशा की जानी चाहिए की शासन की सजगता और जनता की जागरूकता से भारत में सुशासन के स्थापना के लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त किया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1. सुशासन की अवधारणा स्पष्ट करे। वेबसाईट टेक्नोलोजी 15.09.2022
2. जैन, पुखराज, भारतीय राजनीतिक विचारक, सहित्य भवन प्रकाशन, पृ.सं. 09
3. डॉ. मोटवानी, केवल, मनुधर्मशास्त्र, पृ.सं. 137
4. सालेतोरे, बी.ए., प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार और संस्थाएँ, पृ.सं. 133
5. महाभारत शान्तिपर्व, 56.16-19, 57.12-14, 30-32
6. महाभारत शान्तिपर्व, 21.12-16, 57.20, 81.38
7. महाभारत शान्तिपर्व, 12.30
8. महाभारत शान्तिपर्व, 113-19, 92-38
9. राफे, मीर एवं राज, तिलक, रामलोकतान्त्रिक तरीके से राजा चुने गए, महाभारत में सुशासन के सिद्धान्त, एनडीटीवी इडिया, 5 सितम्बर 2023
10. अर्थशास्त्र, अधिकरण 1, अध्याय 4
11. जैन, पुखराज, भारतीय राजनीतिक विचारक, साहित्य भवन प्रकाशन, पृ.सं. 115
12. शुक्रनीति, अध्याय-1, श्लोक 91
13. शुक्ल, राजनीश कुमार, रामराज्य का सार है सुराज और सुशासन, महात्मा गांधी के सपनों का रामराज्य भी था इसी से प्रेरित, जागरण, हिन्दी न्यूज, 20 अक्टू. 2022, ई-पेपर
14. प्रसाद, प्रो. भगवती, प्राचीन भारत में ग्राम स्वराज्य व लोकतान्त्रिक संस्थाएँ, पांचजन्य, 07 जुलाई 2021, दिल्ली
15. राजस्थान पत्रिका, जोधपुर, 12.8.2017, पृ.सं. 1